

पत्रावली का प्रारंभिक प्रस्ताव  
कानून विभाग द्वारा प्रस्तुत  
पूर्वनुसार दिनांक 29.3.22 को  
पेश की जाये (43)

29.3.22

कानून विभाग द्वारा प्रारंभिक प्रस्ताव SDO सा.र.0 मीटिंग में पेश है।  
स्वीकृत किया गया है। अब पत्रावली  
पूर्वनुसार दिनांक 7.6.22 को  
पेश की जाये (43)

8.6.22

पत्रावली आषाढ के मध्य बंगू में पेश हुई प्रकरण  
में तहसील दार बंगू के पत्र क्र.स/42/2022/1269  
दि. 27-5-22 से प्राप्त हुई, प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार  
मौजा बंगू म.ह.बंगू की आ.स. 1126 किता 1 रकबा  
0.486 है। भूमि पर प्राथी का स्वस्थ ठिक नहीं होने  
से उनके पौत्र महेश कुमार व कुशाल कुमार उपस्थित  
हुए और उन्होंने बताया कि मौजा बंगू की आ.स. 1126  
रकबा 0.486 है की मथर गढी पूर्व में करा दी गई है।  
जिसकी ताईद पिपशी लादुलाल द्वारा की गई है।  
सम्पत्ति आराजी की पूर्व में मथर गढी होकर खेत  
के चारों ओर पथर की कोट बनी हुई है। पंच दुबारा  
मथर गढी नहीं कराना चाहते हैं। प्रकरण में भू.अ. नि.  
बंगू की रिपोर्ट अनुसार उक्त आराजी की मथर गढी  
पूर्व में होने व प्राथी के पौत्र द्वारा मथर गढी नहीं  
कराने से प्रा.पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली  
फैसल शुमार होकर नम्बर से कम है।

*(Handwritten signature)*